

जिलों के अफसर ईवी की सब्सिडी करेंगे स्वीकृत

धर्मेश अवस्थी • जागरण

लखनऊ : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अब परिवहन मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को सब्सिडी देने की केंद्रीयकृत व्यवस्था खत्म कर दिया है। सभी जिलों के एआरटीओ प्रशासन व आरआइ ही सब्सिडी की पत्रावली की जांच करके स्वीकृति देंगे। ई-बसों को मिलने वाली 20 लाख रुपये की सब्सिडी परिवहन मुख्यालय से स्वीकृत की जाएगी।

प्रदेश सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर है इसीलिए दो पहिया से लेकर ई-बस खरीदने वालों को सरकार सब्सिडी दे रही है, तीन पहिया वाहनों में सिर्फ ई-रिक्शा को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लखनऊ सहित सभी जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अभी तक सब्सिडी परिवहन मुख्यालय से ही स्वीकृत होती रही है। स्वीकृति के बाद ही वाहन स्वामी के खाते में धन पहुंचता रहा है, मसलन दो पहिया वाहन स्वामी को पांच हजार व चार पहिया वाहन स्वामी को एक लाख का भुगतान मिलता रहा है। केंद्रीयकृत व्यवस्था में वाहन स्वामी की ओर से सभी प्रपत्र न देने या फिर



- परिवहन विभाग में अभी तक मुख्यालय से केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू थी
- सभी जिलों को निर्देश एआरटीओ और आरआइ कराएं प्रकरणों का निस्तारण

परिवहन निगम को उत्कृष्टता श्रेणी का गोल्ड अवार्ड

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को फिर अवार्ड मिला है। ईटी गवर्नमेंट डिजीटेक अवार्ड 2025 में 'स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में उत्कृष्टता' श्रेणी के तहत गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित

कांक्लेव दिया गया। यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने दिल्ली में अवार्ड को ग्रहण किया। प्रबंध निदेशक सरवर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, परिवहन निगम के चेयरमैन वैकटेश्वर लू को धन्यवाद देते हुए परिवहन निगम के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दिया है।

त्रुटियों का सुधार करने में परेशानी होती रही है, कोई भी बदलाव ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से होता रहा है और वाहन स्वामी ओटीपी बताने को तैयार नहीं होते थे।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने लोगों की सुविधा के लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था खत्म करके जिलों को पत्रावली स्वीकृत करने का निर्देश दिया है। अब हर जिले में एआरटीओ

प्रशासन व आरआइ मिलकर पत्रावली की जांच करके स्वीकृति देंगे। सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार ने बताया इस कदम से आसानी हो गई है, दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहनों को अब जिला मुख्यालय से ही सब्सिडी की स्वीकृति मिलेगी। परिवहन मुख्यालय सिर्फ ई-बसों को 20 लाख रुपये की सब्सिडी दिलाने की प्रक्रिया पूरा करेगा।